DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
Indrawati Bhavan, Block-3, 3rd /4th Floor, Naya Raipur - 492002
इन्दावती भवन, ब्लाक–3 तृतीय/चतुर्थ तल, नया रायपुर - 492002
Phone : 0771- 2331331, 2221376, Fax : 0771-2253620, Website : http://www.cgdteraipur.ac.in

//विज्ञापन//

छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में B.E./B.Tech पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति सत्र 2016-17

छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग की अधिसूचना 21 जून 2013 जो कि राजपत्र में 24 जून 2013 को प्रकाशित दिये गये प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी छात्र-छात्रायें जो अन्य राज्यों में अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs) भारतीय विज्ञान-शिक्षा संस्थाओं (IISc) तथा अन्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) से मान्यता प्राप्त उच्च तकनीकी संस्थाओं में इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी (B.E./B.Tech.) उपाधि पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए 08 नवीन छात्रवृत्ति राशि ₹ 2000/- प्रतिमाह (अक्षरों में- ₹ दो हजार मात्र) हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष हेतु रिक्त छात्रवृत्ति की संख्या निरंक है।

छात्रवृत्ति के लिए अर्हकारी परीक्षा 12 वीं में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ही इसके पात्र होगें। अभ्यर्थी का सक्षम अधिकारी से जारी किया गया छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र संचालनालय, तकनीकी शिक्षा, इन्द्रावती भवन, ब्लाक-3, तृतीय/चतुर्थ तल, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकता है अथवा संचालनालय की वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

आवेदन के साथ 12 वीं की अंकसूची एवं छ.ग. का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र तथा अध्ययनरत संस्था का AICTE से मान्यता प्राप्त होने की छायाप्रतियॅा संलग्न करना अनिवार्य है। छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन संबंधित संस्था प्रमुख से अनुशंसित कराना अनिवार्य है। आवेदन पत्र संचालनालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 30.10.2016 है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

जिन छात्रों को पूर्व में किसी वर्ष के लिये छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जा चुके हैं, वे भी अगले वर्ष के नवीनीकरण हेतु आवेदन के साथ पिछले वर्ष की उत्तीर्ण अंकसूची संलग्नकर संबंधित संस्था प्रमुख से अनुशंसित कराकर अनिवार्य रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। तदपश्चात आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही नवीनीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

आयुक्त
तकनीकी शिक्षा, छ.ग.

Wipro/D/ Shrivastava/Other State Scholarship 1